

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड  
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,  
देहरादून।

दूरभाष संख्या—0135—2972421,22—25  
ईमेल—dir.agri.uttarakhand@gmail.com

पत्रांकः— कृ०नि०/ / भण्डार—विज्ञापन/22—23 दिनांक अप्रैल, 2022

1. सम्पादक,  
दैनिक अमर उजाला,  
पटेल नगर देहरादून।
2. सम्पादक,  
दैनिक हिन्दुस्तान प्रकाशन,  
कर्जन रोड, देहरादून।

विषय— विभिन्न सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म पंजीकरण संबन्धी विज्ञप्ति प्रकाशन बिषयक।

महोदय,


कृषि निदेशालय में विभिन्न कार्यालय प्रयोगार्थ सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया पंजीकरण विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्रों के देहरादून संस्करणों पर न्यूनतम पठनीय साईज में सूचना विभाग द्वारा निर्धारित डी०ए०वी०पी० दरों पर श्वेत—श्याम प्रकाशित करवाते हुए सम्बन्धित का बिल भुगतान हेतु कृषि निदेशालय को प्रेषित करें।

संलग्न—उक्त विज्ञप्ति

  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः— कृ०नि०/ ५५८ / भण्डार—विज्ञापन/22—23 देहरादून/२६ अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि— कु० तनुजा मासिवाल, क०सहायक को इस निर्देश के साथ कि पंजीकरण विज्ञप्ति संबन्धी समस्त प्रपत्र/शर्तों को विभागीय वेबसाईट [www.agriculture.uk.gov.in](http://www.agriculture.uk.gov.in) पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।

  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।  


कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून

Email- dir.agri.uttarakhand@gmail.com., dir.agri.ua.uk.nic.in,  
phone n. 0135-2972421,22-25

पत्रांक-कृ०नि०/ ५९७/ भण्डार-पंजीकरण/ 22-23 दिनॉक २६अप्रैल 2022

फर्म पंजीकरण हेतु सूचना (वित्तीय वर्ष 2022-2023)

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली 2017 के अनुसार कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून कार्यालय प्रयोगार्थ सामान आपूर्ति/कार्यो हेतु इच्छुक फर्मों को पंजीकरण हेतु आमंत्रित करता है। प्रिटिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री यथा-बुक, फोल्डर, पम्पलेट, फ्लैक्स बैनर आदि की छपाई, राजकीय कार्यक्रमों/बैठकों/मेलों/गोष्ठी हेतु हेतु टैट-आशियाना, लाईट ब्यवस्था, पी०ए०सिस्टम, एल०ई०डी० वॉल, प्रोजेक्टर, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कार्य, राजकीय कार्यक्रमों/बैठकों/मेलो/गोष्ठी आदि आयोजनों हेतु जलपान/लंच की ब्यवस्था एवं कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के प्रयोगार्थ लेखन सामग्री/कम्प्यूटर सहायक सामग्री-प्रिन्टर कार्टेज/इम यूनिट आदि/फोटो कॉपियर-कार्टेज/इम यूनिट क्य की ब्यवस्था हेतु फर्मों का पंजीकरण कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त कार्यों की आपूर्ति हेतु आवेदन/पंजीकरण हेतु इच्छुक फर्म लैटर पैड पर पैन नं/जी०ए०टी० नम्बर/रजिस्टेशन आदि का उल्लेख करते हुये पंजीकरण फार्म एवं अपने मूल दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न कर दिनॉक 11.5.2022 के सांयः 4.00 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के विस्तृत नियम निर्देश शर्ते एवं आवेदन पत्र कार्यालय-कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड से धनराशि रु० 2000.00 (रु० दो हजार)मात्र (प्रत्येक कार्य/सामग्री आपूर्ति हेतु अलग-अलग शुल्क) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबासाइट [www.agriculture.uk.gov.in](http://www.agriculture.uk.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किये जाने की स्थिति पर आवेदन शुल्क की धनराशि विभागीय चालान द्वारा जमा की जानी आवश्यक होगी। किसी भी विवाद हेतु न्याय का क्षेत्र देहरादून होगा। अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा समस्त पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी जानकारी के लिए निविदादाता फर्म द्वारा निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड, के कार्यालय-कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून, ई-मेल अथवा विभागीय फोन सं० 0135-2972421, 22-25 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रु०  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

## सामान्य नियम एवं शर्ते

1. इच्छुक आवेदक/फर्म को कम से कम 03 वर्ष संबन्धित कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। कार्य किये जाने के आपूर्ति आदेश एवं इस आशय का स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा कि आपूर्ति आदेश के कम में विभागों में संतोषजनक कार्य किया गया है।
2. आवेदन प्रपत्र के साथ फर्म की 03 वर्ष (वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक) की बैलेंस शीट जिसमें न्यूनतम टर्न ओवर निम्नानुसार संलग्न किया जाना आवश्यक है।
1. प्रिंटिंग/प्रचार-प्रसार सामग्री यथा-बुक, फोल्डर, पम्पलेट, फ्लैक्स बैनर आदि की छपाई-अनुमानित धनराशि रु0 80.00 लाख (फर्म का न्यूनतम टर्न ओवर-धनराशि रु0 1.00 करोड़ ) (केवल फ्लैक्स बैनर आपूर्ति संबन्धी कार्य कराये जाने पर न्यूनतम टर्न ओवर प्रतिवर्ष 50 लाख )
- II. राजकीय कार्यक्रमों/बैठकों/मेलों/गोष्ठी हेतु टैट-आशियाना, लाईट व्यवस्था, पी0एससिस्टम, एल0ई0डी0 वॉल, प्रोजेक्टर, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी आदि कार्य-अनुमानित व्यय धनराशि रु0 150.00 लाख(फर्म का न्यूनतम टर्न ओवर-धनराशि रु0 2.00 करोड़ )
- III. राजकीय कार्यक्रमों/बैठकों/मेलों/गोष्ठी आदि आयोजनों हेतु जलपान/लंब की व्यवस्था आदि कार्य-अनुमानित व्यय धनराशि रु0 75.00 लाख (फर्म का न्यूनतम टर्न ओवर-धनराशि रु0 1.00 करोड़ )
- IV. कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के प्रयोगार्थ लेखन सामग्री/कम्प्यूटर सहायक सामग्री-प्रिन्टर कार्टज/इम यूनिट आदि/फोटो कॉपियर-कार्टज/इन यूनिट क्य आदि-अनुमानित व्यय धनराशि रु0 30.00 लाख (फर्म का न्यूनतम टर्न ओवर-धनराशि रु0 50.00 लाख ) (केवल कम्प्यूटर सहायक सामग्री आपूर्ति संबन्धी कार्य कराये जाने पर न्यूनतम टर्न ओवर प्रतिवर्ष 30.00 लाख )
3. वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के आई0टी0आर0 के साथ जी0एस0टी0एन0 नम्बर एवं पेन नम्बर भी संलग्न की जायें।
4. पंजीकरण हेतु प्रपत्र फार्म दिनांक 11.05.2022 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक निदेशालय के कैशियर से रु0 2000.00 (रु0 दो हजार)मात्र नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्यालय में नकद जमा किये जाने पर विभागीय रसीद (डी02) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी। पंजीकरण फार्म Website [www.agriculture.uk.gov.in](http://www.agriculture.uk.gov.in) से भी नियमानुसार Download किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निविदा आवेदन पत्र शुल्क रु0 2,000.00 आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल में लॉगिन कर ई-चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक -0401-00-800-14-00 में ऑन-लाइन जमा की जानी है, जिसकी रसीद निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न की जायेगी।
5. पंजीकरण हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र दिनांक 11.5.2022 सायं 4:00 बजे तक कृषि निदेशालय के भण्डार कक्ष में स्थित सील बन्द बाक्स में जमा किये जा सकते हैं। प्रपत्र स्वयं, पत्र वाहक के माध्यम से, डाक द्वारा अथवा कोरियर द्वारा भी भेजा जा सकता है। उक्त प्रपत्र दिनांक 11.5.2022 सायं 4:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना आवश्यक होगा। दिनांक 11.5.2022 सायं 4:00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने की दशा में आवेदन पत्रों में कदापि विचार नहीं किया जायेगा। दिनांक 11.5.2022 अपरान्ह को 4:00 बजे तक पंजीकरण हेतु प्राप्त सभी आवेदन प्रपत्र दिनांक 11.5.2022 को सायं: 4:15 बजे कृषि निदेशालय के सभा कक्ष में खोले जायेगे।
6. समय-समय पर सामग्री की आवश्यकता होने पर विभागीय आवश्यकतानुसार सामग्री के क्य/आपूर्ति हेतु विभागीय बेवसाइट [www.agriculture.uk.gov.in](http://www.agriculture.uk.gov.in) में नोटिस द्वारा अथवा पंजीकृत फर्म से ई-मेल अथवा पंजीकृत डाक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो तत्समय दरें प्राप्त की जायेगी। दरों का तुलनात्मक विवरण में न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्यदेश दिया जायेगा।

7. फर्म को उत्तराखण्ड व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट आवेदन प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. फर्म द्वारा अपना कार्य अथवा कार्य का हिस्सा किसी दूसरी फर्म से नहीं कराया जायेगा। यदि ऐसा पाया गया तो उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
9. जिस फर्म की दर कार्य के लिए स्वीकृत होगी उसे कार्य आदेश प्राप्ति के तत्काल पूर्ण करना होगा तथा सामग्री को कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर देहरादून कार्यालय तक पहुँचाने का पूर्ण उत्तराधित्व फर्म का होगा। इस हेतु विभाग द्वारा सम्बन्धित फर्म को सामग्री पहुँचाने के लिए न तो वाहन उपलब्ध कराया जायेगा और न ही दुलान आदि व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि सामग्री नियत अवधि में उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
10. प्रिटिंग/प्रचार-प्रसार संबन्धी फर्म के पास उपलब्ध मशीनों के संबन्ध में स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही मशीन क्रय बिल की छायाप्रति अथवा इन्स्टॉलेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। मुद्रण के बाद आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच/परीक्षण निदेशालय स्तर पर किया जायेगा। सामग्री की आपूर्ति आदेश से भिन्नता पाई जाती है तो समस्त सामग्री फर्म को वापस कर दी जायेगी, जिसे फर्म को स्वयं उठाकर वापस ले जाना होगा। त्रुटिपूर्ण आपूर्ति पर हुये सम्पूर्ण व्यय भार का पूर्ण उत्तराधित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संबन्धित अमानक सामग्री का भुगतान भी फर्म को नहीं किया जायेगा। प्रिटिंग का कार्य निदेशालय स्तर से Verify करने के पश्चात ही फाइनल किया जायेगा।
11. लंच/जलपान आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्म के पास मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा निर्गत फूड लाइसेन्स एवं कैटरिंग लाइसेन्स प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।
12. विभाग द्वारा प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के कार्यों पर निगरानी रखी जायेगी। यदि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन करने अथवा सामग्री की समय से आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करता है अथवा किसी प्रकार की गलत घोषण/तथ्य प्रस्तुत करता हैं जो उसे आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।
13. आपूर्ति आदेश के सापेक्ष फर्म को कार्यदेश के मूल्य की धनराशि जमानत के रूप में 10 प्रतिशत बैंक ड्राप्ट/एफ0डी0आर0 जो कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून के पदनाम से बन्धक किया गया हो जमा करना होगा।
14. भुगतान बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा, सामग्री की मात्रा बजट की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटायी बढ़ायी जा सकती है।
15. अद्योहस्ताक्षरी को एक अथवा समस्त आवेदन तथा आपूर्ति के सबंध में कोड गयी दरें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि आवेदन प्रपत्र के साथ मॉगी गयी शर्तें/प्रमाण पत्र पूर्ण नहीं पाये गये तो सम्बन्धित के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र मोहर बन्द लिफाफे में सील बंद कर लिफाफे के ऊपर जिस कार्य हेतु पंजीकरण कराया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होंगा। अर्थात प्रिटिंग प्रचार-प्रसार सामग्री पंजीकरण, लेखन एवं कम्प्यूटर सामग्री पंजीकरण, टैंट-आशियाना पंजीकरण, जलपान/लंच व्यवस्था पंजीकरण, जैसी भी स्थिति हो लिखा जायें।
16. फर्म का पंजीकरण एक वर्ष तक वैध होगा।
17. निविदा दाता की देहरादून में सामग्री की पंजीकृत स्थायी फर्म होनी आवश्यक हैं।
18. किसी भी विवाद हेतु न्याय का क्षेत्र देहरादून होगा।

कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड

कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड  
मूल्य ₹ 0 2,000.00 (₹ 0 दो हजार मात्र, समस्त कर सहित)  
सील

जलपान/लंच आपूर्ति हेतु पंजीकरण आवेदन  
वर्ष 2022-23

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड  
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,  
देहरादून

(सील बन्द-लिफाफे में भेजी जाये)

1. पंजीकृत फर्म का नाम व पूरा पता, फैक्स, फोन/मोबाइल नं 0 एवं अधिकारिक ई-मेल आईडी 0 आदि सहित:-
2. पंजीकृत फर्म के स्वामी/प्रबन्ध निदेशक का नाम:-
3. जलपान/लंच आदि का अनुभव (स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों में आयोजित कराये गये कार्यक्रमों के आदेश एवं प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां एवं विवरण संलग्न किया जाये).....
4. फर्म का आयकर पैन नं 0/जी०एस०टी० नम्बर.....  
(छायाप्रति संलग्न करें)
5. पंजीकरण फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।  
(1) नकद क्रय की दशा में विभागीय कैश रसीद संख्या (D2)/ऑन-लाइन चालान के माध्यम से धनराशि जमा किये जाने पर चालान संख्या—  
(मूल प्रति संलग्न की जाय)  
(2) जमा की गयी धनराशि रु 0 :-
6. उत्तराखण्ड व्यापार कर पंजीयन संख्या :—  
(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. फर्म की 03 वर्ष की बैलेंस शीट जिसमें न्यूनतम टर्न टोवर प्रतिवर्ष ₹ 0 1.00 करोड़ हो संलग्न किया जाना आवश्यक है।

8. क्या पंजीकृत फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्या फर्म के विरुद्ध कोई विवाद/विधिक/आपराधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है। "हां" और "नहीं" में उल्लेख किया जाय। (यदि फर्म पर इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है तो ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण पत्र/एफिडेविड संलग्न किया जायें) नोट:- 1. प्रत्येक बिन्दु से संबंधित पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त क्रम में ही संलग्न की जायें।  
 2. सीलबन्द लिफाफों पर दाहिनी ओर स्कैच पेन से "जलपान/लंच आपूर्ति" हेतु पंजीकरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

### निर्धारित शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा आवेदन कीसभी शर्त भली—भौति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया: सहमत हूँ। मेरे द्वारा उपलब्ध/संलग्न करे गये सभी प्रमाणपत्र/अभिलेख पूर्णतया सही हैं।

फर्म/आवदेक के हस्ताक्षर.....

पूर्ण पता.....

फोन नम्बर.....

मोबाइल नम्बर.....

फैक्स नम्बर.....

सील.....

कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड

मूल्य ₹ 2,000.00 (₹ 2,000.00 दो हजार मात्र, समस्त कर सहित)  
सील

## टैंट-आशियाना आदि आपूर्ति हेतु पंजीकरण आवेदन वर्ष 2022-23

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड  
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,  
दहरादून

(सील बन्द-लिफाफे में भेजी जाये)

1. पंजीकृत फर्म का नाम व पूरा पता, फैक्स, फोन/मोबाइल नं। एवं अधिकारिक ई-मेल आईडी। आदि सहित:-
2. पंजीकृत फर्म के स्वामी/प्रबन्ध निदेशक का नाम:-
3. अनुभव एवं कार्यक्षमता का विवरण (स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों में आयोजित कराये गये कार्यक्रमों के आदेश एवं प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां एवं विवरण संलग्न किया जाये).....
4. फर्म का आयकर पैन नं।/जी०एस०टी० नम्बर.....  
(छायाप्रति संलग्न करें)
5. पंजीकरण फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।  
(1) नकद क्रय की दशा में विभागीय कैश रसीद संख्या (D2)/ऑन-लाइन चालान के माध्यम से धनराशि जमा किये जाने पर चालान संख्या—  
(नूल प्रति संलग्न की जाय)  
(2) जमा की गयी धनराशि रु० :-
6. उत्तराखण्ड व्यापार कर पंजीयन संख्या :-  
(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. फर्म की 03 वर्ष की बैलेंस शीट जिसमें त्यूनतम टर्न टोवर प्रतिवर्ष ₹ 2.00 करोड़ हो संलग्न किया जाना आवश्यक है।

8. क्या पंजीकृत फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्या फर्म के विरुद्ध कोई विवाद/विधिक/आपराधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है। "हां" और "नहीं" में उल्लेख किया जाय। (यदि फर्म पर इस प्रकार की कोई नोट:- 1. प्रत्येक बिन्दु से संबंधित पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त क्रम में ही संलग्न की जायें।  
 2. सीलबन्द लिफाफों पर दाहिनी ओर स्केच पेन से "टैंट-आशियाना आपूर्ति" हेतु पंजीकरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

### निर्धारित शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा आवेदन कीसभी शर्त भली-भौति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया: सहमत हूँ। मेरे द्वारा उपलब्ध/संलग्न करे गये सभी प्रमाणपत्र/अभिलेख पूर्णतया सही हैं।

फर्म/आवदेक के हस्ताक्षर.....

पूर्ण पता.....

फोन नम्बर.....

मोबाइल नम्बर.....

फैक्स नम्बर.....

सील.....

कृषिनिदेशक  
उत्तराखण्ड  
मूल्य ₹0 2,000.00(₹0 दो हजार मात्र, समस्त कर सहित)  
सील

लेखन सामग्री/कम्प्यूटर सहायक सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकरण  
आवेदन

वर्ष 2022-23

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड  
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,  
देहरादून

(सील बन्द-लिफाफे में भेजी जाये)

1. पंजीकृत फर्म का नाम व पूरा पता, फैक्स, फोन/मोबाइल न0 एवं अधिकारिक ई-मेल आईडी0 आदि सहित:-
2. पंजीकृत फर्म के स्वामी/प्रबन्ध निदेशक का नाम:-
3. लेखन सामग्री/कम्प्यूटर सहायक सामग्री विक्रय अनुभव एवं कार्यक्षमता का विवरण (विभिन्न विभागों में क्रय/आपूर्ति संबंधी आदेश एवं प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न की जाये).....
4. फर्म का आयकर पैन न0/जी0एस0टी0 नम्बर.....  
(छायाप्रति संलग्न करें)
5. पंजीकरण फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।  
(1) नकद क्रय की दशा में विभागीय कैश रसीद संख्या (D2)/ऑन-लाइन चालान क  
माध्यम से धनराशि जमा किये जाने पर चालान संख्या—  
(मूल प्रति संलग्न की जाय)  
(2) जमा की गयी धनराशि ₹0 :-
6. उत्तराखण्ड व्यापार कर पंजीयन संख्या :—  
(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. फर्म की 03 वर्ष की बैलेंस शीट जिसमें न्यूनतम टर्न टोवर प्रतिवर्ष ₹0 50.00 लाख हो संलग्न किया जाना आवश्यक है।(केवल कम्प्यूटर सहायक सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्म की दशा में न्यूनतम टर्न टोवर प्रतिवर्ष ₹0 30.00 लाख )

8. क्या पंजीकृत फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्या फर्म के विरुद्ध कोई विवाद/विधिक/आपराधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है। "हां" और "नहीं" में उल्लेख किया जाय। (यदि फर्म पर इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है तो ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण पत्र/एफिडेविट संलग्न किया जाये)
- नोट:- 1. प्रत्येक बिन्दु से संबन्धित पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त क्रम में ही संलग्न की जायें।
2. सीलबन्द लिफाफों पर दाहिनी ओर स्केच पेन से "लेखन सामग्री एवं कम्प्यूटर सहायक सामग्री" हेतु पंजीकरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

### निर्धारित शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा आवेदन कीसभी शर्त भली-भौति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया: सहमत हूँ। मेरे द्वारा उपलब्ध/संलग्न करे गये सभी प्रमाणपत्र/अभिलेख पूर्णतया सही हैं।

फर्म/आवदेक के हस्ताक्षर.....

पूर्ण पता.....

फोन नम्बर.....

मोबाइल नम्बर.....

फैक्स नम्बर.....

सील.....

कृषि निदेशक

मूल्य रु० 2000.00(रु० दो हजार मात्र, समस्त कर सहित)

सील

प्रिन्टिंग एवं प्रचार-प्रसार सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकरण आवेदन  
वर्ष 2022-23

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड  
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,  
देहरादून

(सील बन्द-लिफाफे में भेजी जायें)

1. पंजीकृत फर्म का नाम व पूरा पता, फैक्स, फोन/मोबाइल न० एवं अधिकारिक ई-मेल आईडी० आदि सहित:-

1. पंजीकृत फर्म के स्वामी/प्रबन्ध निदेशक का नाम:-

2. प्रिन्टिंग प्रैस का पता जहाँ पर वह स्थित है:-

3. मुद्रण सम्बन्धी अनुभव एवं कार्यक्षमता का विवरण (प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां एवं विवरण, तथा विभागों से प्राप्त क्रय आदेश की छायाप्रतियां भी संलग्न की जायें) .....

4. फर्म का आयकर पैन न०/जी०एस०टी० नम्बर.....  
(छायाप्रति संलग्न करें)

5. पंजीकरण फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।

(1) नकद क्रय की दशा में विभागीय कैश रसीद संख्या (D2)/ऑन-लाइन चालान के माध्यम से धनराशि जमा किये जाने पर चालान संख्या—

(मूल प्रति संलग्न की जाय)

(2) जमा की गयी धनराशि रु० :-

6. उत्तराखण्ड व्यापार कर पंजीयन संख्या :-  
(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. आवेदक द्वारा कलर प्रिटिंग मशीन फर्म के पास स्थापित होने का प्रमाण संलग्न करें :-  
जिसकी पुष्टि हेतु मशीन क्रय अथवा उसके स्टालेशन का प्रमाण संलग्न करें।

8. फर्म (प्रिटिंग इकाई) के पास उद्योग विभाग में लघु उद्योग में स्थायी पंजीकरण अथवा उद्योग विभाग से ई०एम० ||  
प्राप्त किया गया हो। (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

9. फर्म की 03 वर्ष की बैलेंस शीट जिसमें न्यूनतम टर्न ओवर प्रतिवर्ष ₹0 1.00 करोड़ हो संलग्न किया जाना आवश्यक है। (केवल फ्लैक्स बैनर आपूर्ति संबंधी कार्य कराये जाने पर न्यूनतम टर्न ओवर प्रतिवर्ष 50 लाख )
10. क्या पंजीकृत फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्या फर्म के विरुद्ध कोई विवाद/विधिक/आपराधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है। "हाँ" और "नहीं" में उल्लेख किया जाय। (यदि फर्म पर इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है तो ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण पत्र/एफिडेविट संलग्न किया जायें) नोट:- 1. प्रत्येक बिन्दु से संबंधित पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त क्रम में ही संलग्न की जायें।  
 2. सीलबन्द लिफाफों पर दाहिनी ओर स्केच पेन से प्रिन्टिंग एवं प्रचार-प्रसार सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

### निर्धारित शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा आवेदन कीसभी शर्त भली-भौति पढ़ ली गयीं हैं तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया: सहमत हूँ। मेरे द्वारा उपलब्ध/संलग्न करे गये सभी प्रमाणपत्र/अभिलेख पूर्णतया सही हैं।

फर्म/आवदेक के हस्ताक्षर.....  
 पूर्ण पता.....

फोन नम्बर.....  
 मोबाइल नम्बर.....  
 फैक्स नम्बर.....  
 सील.....